**बिहार सरकार**

**अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग**

# मार्गदर्शिका

संकल्प संख्या–4687 दिनांक–13.09.2023 की कंडिका–2(ix) के अनुपालन में आवासीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं के विद्यालय परिसर की साफ–सफाई का कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से किये जाने के लिए भौतिक, पंजी संधारण, लेखा संधारण एवं अनुश्रवण हेतु प्रक्रिया

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के आवासियों को विद्यालय परिसर की साफ–सफाई के कार्य हेतु संकल्प संख्या–4687 दिनांक–13.09.2023 निर्गत की गई है। विद्यालय परिसर की साफ–सफाई के उद्देश्य से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के साथ विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन (MoU) किया जायेगा।

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से विद्यालय परिसर की साफ–सफाई कार्य हेतु संकल्प और समझौता ज्ञापन(MoU) में अंकित बिन्दुओं के कार्यान्वयन के लिये एवं उसके अतिरिक्त निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित किए जाते है:–

2.1. **विद्यालय परिसर की साफ–सफाई की व्यवस्थाः–**

(i) जीविका द्वारा नामित सामुदायिक संगठन के माध्यम से विद्यालय परिसर की साफ–सफाई कराया जाएगा।

(ii) **विद्यालय एवं विद्यालय परिसर की साफ–सफाई की सेवा सुबह 5.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक निर्बाध रखने की सम्पूर्ण जबाबदेही जीविका की होगी। नामित सामुदायिक संगठन के द्वारा सुबह में गतिविधि प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यालय परिसर/शौचालय की साफ–सफाई का प्रथम चरण पूर्ण कर ली जाएगी। इसके लिए समयावधि निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार कम किया जा सकता है।**

(iii) विहित प्रपत्र अनुलग्नक–1 के अनुसार चिन्हित स्थल की साफ–सफाई प्रतिदिन एवं साप्ताहिक रूप से किया जाएगा **एवं विद्यालय परिसर में एक कमरा, जलापूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।**

**(अनुलग्नक–1)**

(iv) प्रधानाध्यापक एवं उनके द्वारा नामित शिक्षक/कर्मी के द्वारा दैनिक रुप से एकाधिक बार परिसर, भौचालय/स्नानागार आदि की सफाई व्यवस्था का सत्यापन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधक द्वारा उनके भ्रमण में एवं जिला कल्याण पदाधिकारी तथा अन्य उच्चाधिकारियों के निरीक्षण क्रम में विद्यालय परिसर की साफ–सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जाएगा। सफाई व्यवस्था की गुणवत्ता के आधार पर उसके लिए

'संतोषप्रद', 'अच्छा' अथवा 'असंतोषप्रद'(साक्ष्य सहित) अभ्युक्ति निरीक्षणों में अनिवार्य रुप से अंकित की जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति विहित प्रपत्र में जिला कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

**(अनुलग्नक–2)**

(v) **आवासीत छात्रों को देय लम्बी अवकाश की अवधि (यथा–ग्रीष्मावकाश / शीतकालीन अवकाश) में भी विद्यालय परिसर की साफ सफाई का कार्य जारी रहेगा। चूंकि अवकाश की अवधि में साफ–सफाई कार्य सीमित होंगे अतः इसके लिए अवकाश प्रारंभ होने की तिथि के पूर्व के माह की औसत छात्रोपस्थिति के आधार पर समतुल्य व्यय की राशि का 50 प्रतिशत या M.o.U की कंडिका–1.7 में निहित शर्त्तों के अनुसार, साफ–सफाई में संलग्न कर्मियों को ₹200 / –(दो सौ रूप्या) प्रति दिन प्रति कर्मी की दर से अवकाश अवधि के आधे दिन की राशि में से, जो कम होगा, उसका भुगतान किया जाएगा।**

**(vi)** **किसी भी माह में नामांकन का 50 प्रतिशत से कम के आधार पर भुगतान नहीं किया जाएगा।**

**2.2. विपत्रों की निकासी एवं लेखा संधारण**

(i) जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) विद्यालय परिसर की साफ–सफाई के लिए नामांकित छात्र बल के अनुसार निर्धारित दर पर विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह के अंतिम दिन जिला कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे।

(विहित प्रपत्र **अनुलग्नक–3** के रूप में संलग्न)

(ii) जिला कल्याण पदाधिकारी विपत्र में अंकित छात्र / छात्राओं की संख्या एवं राशि का सत्यापन अगले तीन दिनों में प्राचार्य एवं आवासीय विद्यालय प्रबंधक से करायेंगे (विहित प्रपत्र **अनुलग्नक–4**) एवं आवश्यकतानुसार स्वयं भी जाँच करेंगे।

सत्यापन में तिथिवार छात्रोपस्थिति, निरीक्षणों में सफाई की गुणवत्ता के आधार पर प्राप्त विपत्र की जांच की जाएगी। निरीक्षणों में अंकित सफाई के किसी भी विवरण में 2 असंतोषजनक अभ्युक्ति के लिए उक्त तिथि के भुगतेय राशि से **5 प्रतिशत की कटौती, 3 से अधिक एवं 5 से कम असंतोषजनक अभ्युक्तियों के लिए 10 प्रतिशत और 5 से अधिक असंतोषजनक अभ्युक्तियों के लिए संदर्भित तिथियों निरीक्षण तिथियों के लिए भुगतेय कुल राशि में से 20 प्रतिशत राशि की कटौती विपत्र से करने के उपरांत ही विपत्र को अनुमोदित किया जाएगा। निरीक्षणों में सफाई के मानक गुणवत्ता से कम गुणवत्ता की सफाई का साक्ष्य,** फोटोग्राफ सहित विद्यालय प्रधानाध्यापक रक्षित करेंगे। भुगतान / स्वीकृति हेतु विपत्र की एकरूपता के लिए विहित प्रपत्र **अनुलग्नक–5** के रूप में संलग्न है।

(iii) उपरोक्त कटौती प्रावधान व्यवस्था प्रारम्भ होने के प्रथम तीन माह लागू नहीं होगे। **3–6 माह तक कटौती प्रावधान के आधे दर पर कटौती होगी तथा 6 माह के बाद उपरोक्त कटौती प्रावधान पूर्णतः लागू हो जायेंगे।**

(iv) जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की **1ली तिथि से 10वीं** तिथि तक विद्यालय परिसर की साफ–सफाई की राशि का समायोजन एवं भुगतान निम्नवत् करेंगे:–

(a) जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा साफ–सफाई कार्य में 1 माह के व्यय की समतुल्य अनुमानित राशि की अग्रिम निकासी 15 वीं से 20 वीं अप्रैल तक करते हुए जीविका के चिन्हित बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी।

(b) माह के अंत में विपत्र जिला कल्याण कार्यालय में जीविका द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कल्याण पदाधिकारी विपत्र के सत्यापनोपरांत विपत्र को अनुमोदित करेंगे तथा Fully Vouched Contigent Bill के आधार पर निकासी कर जीविका के चिन्हित खाते में राशि का अंतरण करेंगे।

(c) जीविका के द्वारा प्रथम 4 माह का अभिश्रव Fully Vouched Contigent Bill के आधार पर जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा निकासी की जाएगी। पांचवें माह के अभिश्रव को प्रथम माह के पूर्व दिए गए अग्रिम से समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार 5 माह के चक्र के पूर्ण होने पर पुनः छठे माह के पूर्व जीविका को 1 माह के व्यय की समतुल्य अनुमानित राशि की अग्रिम निकासी AC विपत्र से कर उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रक्रिया चक्रानुसार चलते रहेगी।

(iv) विद्यालय परिसर की साफ–सफाई के लिए जीविका को भुगतान किए गए विपत्रों से संबंधित अभिलेखों का संधारण विहित प्रपत्र के अनुसार अलग पंजी में करेंगे।

**(अनुलग्नक–6)**

2.3. **अनुश्रवण की व्यवस्था**

(i) विभागीय पत्रांक– 6217 दिनांक– 21/12/2023 से गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा विहित एवं निर्धारित मानक के अनुरूप विद्यालय परिसर की साफ–सफाई का अनुश्रवण करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह नियमित रूप से संबंधित के साथ समन्वय(Co-ordination) बैठक की करेंगे।

(ii) यथासंभव, विभाग के नामित पदाधिकारी एवं जीविका की संयुक्त टीम द्वारा विद्यालय परिसर की साफ–सफाई का प्रत्येक माह के **11वीं से 20वीं तिथि** तक स्थलीय जाँच/निरीक्षण किया जाएगा।

(iii) संयुक्त जाँच दल द्वारा स्थलीय जाँच/निरीक्षण में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर आवश्यकतानुसार कार्रवाई की अनुशंसा जाएगी। जिला कल्याण पदाधिकारी उक्त अनुशंसा के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

(iv) यथासंभव, निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (जीविका) द्वारा संयुक्त रूप से जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला परियोजना प्रबंधक(जीविका) के साथ प्रत्येक माह के **21वीं से 30वीं तिथि** की अवधि में से किसी एक तिथि को उपरोक्त सेवा की समीक्षा की जाएगी।

(v) बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा उपरोक्त सेवा के लिए यथाशीघ्र वास्तविक समय में निगरानी प्रक्रिया (Real Time Monitoring System) विकसित की जाएगी।

(vi) जिला कल्याण पदाधिकारी उपरोक्त सेवा के विरूद्ध व्यय की गई राशि की विवरणी विभाग को समर्पित किया जायेगा।

3. प्रथमतः अनुबंध तीन वर्षों के लिए किया जायेगा।

4. *बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के द्वारा विद्यालय परिसर की साफ–सफाई की सेवा के लिए प्रत्येक जिला में अलग बैंक खाता संधारित किया जाएगा एवं जिला कल्याण पदाधिकारी से संबंधित सेवा के विरूद्ध अग्रिम राशि एवं भुगतेय राशि सुसंगत बैंक खाता में अंतरित करने का अनुरोध किया जायेगा।*

5. **अन्यः–**

(क) समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में परिवर्त्तन किया जा सकता है तथा कार्यान्वयन के क्रम में नये निदेश/अनुदेश निर्गत किये जा सकते है।

(ख) समझौता ज्ञापन (M.o.U) एवं मार्गदर्शिका से संबधित कोई कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे या विसंगति कंडिका–2.3(iv) के अधीन समाधान कर ली जाएगी।

21.12.23

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति
बिहार, पटना।

21.12.23

निदेशक,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

**ज्ञापांक**–4/निदे0 आ0वि (जीविका)–06–05/2021– 6220 **पटना, दिनांक**– 21/12/2023

**प्रतिलिपि**– मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.23

**निदेशक।**

**ज्ञापांक**–4/निदे0 आ0वि (जीविका)–06–05/2021– 6220 **पटना, दिनांक**– 21/12/2023

**प्रतिलिपि**– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति(जीविका),पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उपविकास आयुक्त, बिहार/सभी प्रमण्डलीय उपनिदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी /सभी प्राचार्य/प्रधानाध्यापक आवासीय विद्यालय/सभी जिला परियोजना प्रबंधक(जीविका) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.23

**निदेशक।**

**ज्ञापांक**–4 / निदे0 आ0वि (जीविका)–06–05 / 2021– 6220 **पटना, दिनांक**– 21/12/2023

**प्रतिलिपि**– सभी विभागीय पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 3डी0, 4डी0, 7डी0. तथा 8डी0 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईठ पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई0–मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।

21.12.23

**निदेशक।**

## ANNEXURE-1

Cleanliness Records
Name of the School-
Month-

| Sl. No | Work- Description | Day-1 | Remark | Day-2 | Remark | Day-3 | Remark | Day-4 | Remark | ............ | Remark | ............ | Remark | Day-31 | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Date | | Date | | Date | | Date | | Date | | Date | | Date | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| Daily | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Hostel Rooms | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Hostel Toilets | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Hostel Bathrooms | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kitchen | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Class Rooms | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | class Room Toilets | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Washbasins | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Any Other | | | | | | | | | | | | | | |
| Weekly | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Drainage | | | | | | | | | | | | | | |
| | Weeding | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wall/Cobwebs | | | | | | | | | | | | | | |
| | Any Other | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No. of Students Present | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jeevike Supervisor's Sitgnature & Name | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inspection by (Sign & Name of Auth. Representative of JEEVIKA). As on when done | | | | | | | | | | | | | | |
| | Signature of Principal/Teacher Incharge & Name | | | | | | | | | | | | | | |

**Items to be cleaned on 3 hourly basis from SAM to 11AM**

**Note:-** **Remarks to be categorised 'Good(G)' Satisfactory (S)' & 'Not Satisfactory(NS)'**

# अनुलग्नक–2

Ref No---------------------                                    Date----------------------------

आवासीय विद्यालय का नामः

बिहार जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति(जीविका) द्वारा विद्यालय परिसर की साफ–सफाई करने वाले नामित सामुदायिक संगठन का नामः

| क्र0सं0 | दिनांक | छात्र/छात्राओं की सं0 | | औसत उपस्थिति | जीविका के नामित सफाई प्रभारी का हस्ता0 | छात्रावास–अधीक्षक का हस्ताक्षर | प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर | विद्यालय प्रबंधक का हस्ताक्षर (भ्रमण के दिनों के लिए) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सुबह | शाम | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# अनुलग्नक–3

## भुगतान विपत्र–

## विद्यालय का नामः–

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संतोषित सामुदायिक संगठन द्वारा विद्यालय परिसर की साफ–सफाई के भुगतान हेतु विपत्रः–

| क्र0 सं0 | दिनांक | औसत छात्रोपस्थिति | दर | राशि |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

नामित संगठन के अध्यक्ष / सचिव

प्रखंड परियोजना प्रबंधक (जीविका)

जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका)

## अनुलग्नक– 4

## विपत्र भुगतान के लिए सत्यापन प्रपत्र

Refrence No:- Date:-

**डॉ0 भीमराव अम्बेडकर +2 आवासीय उच्च विद्यालय,..........................**

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन द्वारा आवासीय विद्यालयों के परिसर साफ–सफाई सेवा के विपत्र भुगतान हेतुः–

1. विद्यालय का नाम–
2. जिला का नाम–
3. प्रखण्ड का नाम–
4. मेस संचालन के लिए नामित सामुदायिक संगठन का नामः–
5. माह– वर्ष– में कुल विद्यार्थियों की संख्या :–

| क्र0 सं0 | दिनांक | सामुदायिक संगठन का नाम | उपस्थिति | | | कितने बार साफ–सफाई की सेवा उपलब्ध कराया गया | मेनू के अनुसार (हॉ/ना) | निर्धारित समय पर साफ–सफाई की सेवा उपलब्ध कराया गया (हॉ/ना) | समय से साफ–सफाई की सेवा उपलबध नहीं कराने के लिए कटौती | कुल भुगतान की राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | As per Bill (Ann-2) | | As per (Ann-1) | | | | | |
| | | | सुबह | शाम | उपस्थिति | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(अभिप्रमाणित करनेवाले कर्मियों/पदाधिकारियों का हस्ताक्षर (नाम एवं मुहर सहित)

प्रमाणित किया जाता है कि आवासीय विद्यालय में उपस्थिति एवं साफ–सफाई के लिए संधारित पंजी से मिलान किया गया एवं उपरोक्त के आधार पर अनुशंसा की जाती है।

प्रधानाध्यापक

विद्यालय प्रबंधक

# अनुलग्नक–5

## स्वीकृत्यादेश

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय परिसर की साफ–सफाई की व्यवस्था हेतु संकल्प संख्या–4687 दिनांक–13.09.2023 के आलोक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के साथ विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन (M.o.U) किया गया है, जिसके आलोक में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर +2 आवासीय विद्यालय................, के परिसर साफ–सफाई की सेवा उपलब्ध कराने के पश्चात् जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) ने Refrence No:-
Date:- द्वारा समर्पित किया गया है, जिसका सत्यापन प्राचार्य एवं विद्यालय प्रबंधक से कराया गया है।

2. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के आवंटनादेश संख्या–––––––––– दिनांक––––––––––––– द्वारा सामग्री एवं पूर्तियां मद में आवंटन प्राप्त है। उक्त आवंटनादेश के विपत्र कोडः– 44–222501277003(21.01) के आवंटन से निम्न प्रकार राशि की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| क्र0 सं0 | विद्यालय का नाम | सामुदायिक संगठन का नाम | विपत्र सं0/ तिथि | अभिश्रव की राशि | जी0एस0टी0 @ 2% | आयकर @ 2% | कुल कटौती | शुद्ध भुगतेय राशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| कुल योग– | | | | | | | | | |

3. आवासीय विद्यालय परिसर की साफ–सफाई के लिए अधिकृत सामुदायिक संगठन को भुगतान हेतु विपत्र की कुल राशि मो0–........................मात्र बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के खाता सं0........... एवं IFSC Code ––––––––– में भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला कल्याण पदाधिकारी

ज्ञापांक–.......................... दिनांक–

प्रतिलिपि– राज्य परियोजना प्रबंधक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका)/............ दीदी की रसोई, ....................... को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला कल्याण पदाधिकारी

ज्ञापांक–.......................... दिनांक–

प्रतिलिपि–वरीय कोषांगार पदाधिकारी.................. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला कल्याण पदाधिकारी

ज्ञापांक–.......................... दिनांक–

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला कल्याण पदाधिकारी

# अनुलग्नक–6

## जिला में अभिलेख संधारण पंजी

| क्रम संख्या | जीविका द्वारा विद्यालय परिसर साफ–सफाई के विपत्र भुगतान का **Ref. No- Date:-** | जिला कल्याण कार्यालय में विपत्र प्राप्ति की तिथि | विपत्र सत्यापन की तिथि | कोषागार से विपत्र समर्पित करने की तिथि | कोषागार से विपत्र पारित करने की तिथि | विपत्र की राशि | **UTR No.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |